UPKN010069652024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

पीठासीन अधिकारीः सपना त्रिपाठी–I .... ID-UP 6103

सत्र परीक्षण संख्या 881/2024

सरकार बनाम राज बहादुर आदि

मुकदमा अपराध संख्या– 158/2024
धारा–147, 302, 120बी भा0दं0सं0
धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
थाना–सचेण्डी, कानपुर नगर।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र धारा 227 दंड प्रकिया संहिता</u>

<u>14.05.2025</u>

1. उपरोक्त प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण अमन उर्फ सत्यम, शरद उर्फ शुभम, मीना देवी, सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या, बजरंगी उर्फ नन्हे महाबीर,राज बहादुर द्वारा पृथक पृथक रूप से इस आशय से दिया गया है कि वादी द्वारा फर्जी फंसाया गया है उनके द्वारा कोई अपराध नही किया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उस पर अभियुक्तगण के विरूद्व ऐसा साक्ष्य नही है जिसने घटना कारित करते हुए देखा हो। मृतक अजय भोली भाली लड़कियों को फॅसाकर उनके धन से ऐश करता था इस वजह से उसके बहुत लोग दुश्मन थे तथा वह शराबी था। अभियुक्त शरद उर्फ शुभम की बहन को मृतक भगा ले गया था इस वजह से पूरे घर को फॅसा दिया है। अभियुक्ता मीना देवी लोहार जाति की है तथा तथाकथित घटना के समय घर में थी उसके विरूद्व मात्र शक के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचक द्वारा आरोपपत्र के प्रत्येक अभियुक्त के ऊपर आरोपित धारा न लिखकर सरसरी तौर से आरोपपत्र प्रेषित कर दिया है। अभियुक्त बजरंगी उर्फ नन्हे उर्फ महावीर घटनास्थल से करीब 120 किलोमीटर दूर डोमनपुर गॉव में रहता है। अभियुक्त राज बहादुर की शादीशुदा पुत्री मृतक अजय द्वारा दूबारा शादी कर ली तथा उसका जेवर भी रख लिया। अजय की किसी मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हुयी है। वादी द्वारा अवैध

वसूली के लिए मुकदमा किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नही है। अतः अभियुक्तगण को आरोप मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

2. राज्य के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया कि वादी कन्धई के लड़के/मृतक अजय ने अभियुक्त राज बहादुर की लड़की से प्रेम विवाह किया था जिसको लेकर राज बहादुर तथा उनके परिजन अक्सर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते थे तथा अभियुक्तगण ने आपराधिक षडयंत्र कर मृतक का अपहरण कर उसकी हत्या कारित कर दी। हत्या में प्रयुक्त मारूती वैन भी बरामद हुयी है। वादी तथा अन्य गवाहान व आकृति ने अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या करना कथित किया है। विशेष लोक अभियोजक की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना साबित है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए तलब किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जा सकता है या नही, इस स्तर पर देखने की आवश्यकता नही है। न्यायालय को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नही। यदि पर्याप्त आधार नही है तो अभियुक्तगण को उन्मोचित कर दिया जायेगा। धारा 228 द.प्र.स. के अर्न्तगत प्रावधान किया गया है कि यह उपधारणा करने का अधिकार है कि अभियुक्तगण ने अपराध कारित किया है और अपराध अन्ततः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उपधारणा करने का पर्याप्त आधार हैं कि अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है। विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मामले में आरोपपत्र दिया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 302, 120बी भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप विरचित करने का पर्याप्त साक्ष्य है। अतः अभियुक्तगण का डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र खारिज किया जाए।

3. मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट हुआ कि वादी कन्धई कोरी ने थाना प्रभारी थाना सचेण्डी को दिनांक 19.05.2024 को तहरीर देकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि वादी का पुत्र अजय जो कि दिनांक 17.05.2024 को सुबह करीब 7.30 बजे घर से कोल्डड्रिंक फैक्ट्री किसान नगर थाना सचेण्डी कानपुर नगर रोज की तरह काम करने गया था। रात में समय से घर न आने पर हम लोगो ने अजय को ढूडने का काफी प्रयास किया परन्तु अजय नही मिला। अजय का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज दिनांक 18.05.2024 को समय करीब दोपहर 12 बजे सूचना मिली कि अजय मृत अवस्था में जे.के.टायर फैक्ट्री चकरपुर मण्डी के पास पाये गये है। मौके पर पहुँचे वहाॅ हमने अपने पुत्र अजय को मृत अवस्था में पड़ा देखा। हम लोग अनुसूचित जाति समाज के लोग है। मेरे लड़के ने ठाकुर राज बहादुर की लड़की आकृति से प्रेम विवाह किया था जिसको लेकर राज बहादुर तथा उनके परिवारिजन शरद, अमन, पवन, धर्मेन्द्र, महावीर, सत्या, लालती देवी, मीना देवी, अक्सर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते थे। मेरे पुत्र अजय को इन्हीं लोगो ने मारा है।

5. वादी के उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना सचेण्डी कानपुर नगर में अभियुक्तगण राज बहादुर, शरद, अमन, पवन, धर्मेन्द्र, महावीर, सत्या, मालती देवी, मीना देवी के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 158/2024 धारा 147, 302 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। वाद विवेचना अभियुक्तगण राज बहादुर, शरद, अमन, श्रीमती मीना देवी, सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या के विरूद्व धारा 147, 302, 120बी भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा अभियुक्त महावीर उर्फ बजरंगी के विरूद्व धारा 147, 302, 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

6. आरोपपत्र के साथ प्रेषित साक्ष्य के आधार पर मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया।

7. **धारा 227 द.प्र.स. में प्राविधानित किया गया है** कि ''यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेज पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवायी कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नही है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा

और ऐसा करने के अपने कारणो को लेखबद्व करेगा।''

(2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रिमिनल) 850 पलविन्दर सिह बनाम बलविन्दर सिंह व अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय साक्ष्य की समालोचना या प्राथमिकता निर्धारित नही करना चाहिए। यदि गॅभीर संदेह है तो आरोप विरचित करना चाहिए।

(2013) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रिमिनल) 986 अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र व अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिधारित किया गया है कि न्यायालय को यह राय बनाना है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया हैं यदि गम्भीर संदेह है तो आरोप विरचित करना चाहिए।

8. वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण राज बहादुर, शरद, अमन, पवन, धर्मेन्द्र, महावीर, सत्या, लालती देवी, मीना देवी के विरूद्व अपने पुत्र अजय की हत्या करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वादी कन्धई ने अपने बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनो का समर्थन करते हुए कहा है कि वादी के लड़के ने ठाकुर राज बहादुर की लड़की आकृति से प्रेम विवाह किया था जिसको लेकर राज बहादुर तथा उनके परिवारीजन शरद, अमन, पवन, धर्मेन्द्र, महावीर, सत्या लालती देवी, मीना देवी अक्सर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते थे वादी के पुत्र अजय को इन्ही लोगो ने मारा है। वादी कन्धई की पत्नी श्रीमती छोटी बिटी ने भी वादी के कथनो का समर्थन करते हुए इसी आशय का कथन अपने बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में किया है। इसके अतिरिक्त मृतक अजय की पत्नी आकृति ने अपने बयान धारा 161 दंड प्रकिया संहिता में यह कहा है कि वह मृतक अजय से प्रेम करती थी यह बात परिवार वालो को पसन्द नही थी क्योंकि हम ठाकुर समाज के है तथा घर वालो ने शादी समर प्रताप सिंह से दिनांक 17.05.2023 को करा दी। शादी होने के बाद दिनांक 27.05.2024 को हम लोग बिना बताये घर से चले गये जिसके बाबत मेरे पापा ने थाना सचेण्डी में अजय के विरूद्व मुकदमा लिखा दिया था। मैने उक्त मुकदमे में अजय के साथ स्वेच्छा जाने का बयान दिया था तथा दिनांक 15.10.2023 को हम दोनो ने शादी कर ली। इसी रंजिश के चलते मेरे पापा, भाई व अन्य लोगो ने अजय की हत्या की है। इसके अतिरिक्त गवाहान अजय कुमार, श्रीमती राजबेटी, सूर्य प्रकाश, अभिषेक कुमार

स्वतंत्र गवाह अजीत कुमार आदि ने घटना का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है। पत्रावली पर मृतक अजय कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर सात चोटे पायी गयी है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण Asphyxia Ante-Mortem Strangulation चिकित्सक द्वारा बताया गया है। वादी मुकदमा, मृतक की पत्नी आकृति तथा अन्य गवाहान के बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता व विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अपराध कारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादी मुकदमा, मृतक की पत्नी तथा अन्य गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता व अन्य साक्षियों के बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के समग्र अवलोकन से इस स्तर पर अभियुक्तगण राज बहादुर, शरद, अमन, श्रीमती मीना देवी, सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या के विरूद्व धारा 147, 302, 120बी भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा अभियुक्त महावीर उर्फ बजरंगी के विरूद्व धारा 147, 302, 120बी भा0द0सं0 में आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली में विद्यमान है व न्यायालय की राय में ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्तगण ने उक्त धाराओं में अपराध कारित किया है। अभियुक्तगण की तरफ से जिन आधारों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है वह साक्ष्य का विषय हैं, जिससे वर्तमान स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने योग्य है तथा अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण अमन उर्फ सत्यम, शरद उर्फ शुभम, मीना देवी, सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या, बजरंगी उर्फ नन्हे महाबीर, राज बहादुर की ओर से प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक 28.05.2025 को पेश हो। आरोप विरचन हेतु अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

दिनांक 14.05.2025

(सपना त्रिपाठी–I)
ID-UP 6103
विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)
कानपुर–नगर।

Digitally signed by SAPNA TRIPATHI
Date: 2025.05.15 17:16:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court